न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 82/2014 **दायरा दिनांक : 30.05.2014**

उनवान

1– श्रीमती गोपाली बाई बेवा चतुर्भुज, जाति मेघवाल चमार, निवासी बमूलिया, तहसील बारां जिला बारां

2– श्रीमती सुशीला पुत्री श्री चतुर्भुज, पत्नी श्री बजरंगलाल मेघवाल, जाति मेघवाल चमार, निवासी हनुवतखेडा व बमूलिया, तहसील बारां जिला बारां

3– श्रीमती मंजू बाई पुत्री श्री चतुर्भुज, पत्नी हेमराज, जाति मेघवाल चमार, निवासी बमूलिया व दीगोद, तहसील बारां जिला बारां

4– श्रीमती ममता पुत्री श्री चतुर्भुज, पत्नी श्री बंशीलाल, जाति मेघवाल चमार, निवासी हनुवतखेडा व बमूलिया, तहसील बारां जिला बारां

5– श्रीमती द्रोपदी बाई पुत्री श्री चतुर्भुज, पत्नी श्री सुरेश, जाति मेघवाल चमार, निवासी रूसल्या, तहसील सांगोद जिला कोटा

6– श्रीमती सोनिया पत्नी श्री विरेन्द्र, जाति रैगर, निवासी नयापुरा मोहल्ला, तालाबपाडा, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– श्रीमती मथरी बाई पत्नी श्री कजोडलाल पुत्री श्री देवा, जाति मेघवाल चमार, निवासी बमूलिया व मानपुरा, तहसील बारां, जिला बारां मृतक कायम मुकामान :–

1/1– छीतर लाल पुत्र कजोडलाल, जाति मेघवाल चमार, निवासी बमूलिया व मानपुरा, तहसील बारां, जिला बारां

1/2– सत्यनारायण पुत्र कजोडलाल, जाति मेघवाल चमार, निवासी बमूलिया व मानपुरा, तहसील बारां, जिला बारां

1/3– दिनेश पुत्र कजोडलाल, जाति मेघवाल चमार, निवासी बमूलिया व मानपुरा, तहसील बारां, जिला बारां

1/4– कमला बाई पुत्री कजोडलाल, जाति मेघवाल चमार, निवासी बमूलिया व मानपुरा, तहसील बारां, जिला बारां

1/5– सुलेन्ता बाई पुत्री कजोडलाल, जाति मेघवाल चमार, निवासी बमूलिया व मानपुरा, तहसील बारां, जिला बारां

2– श्री रामा पुत्र श्री बिरधा, जाति मेघवाल, निवासी बमूलिया हाल किशोरपुरा, तहसील दीगोद, जिला कोटा

3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारां, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री संजय शर्मा एवं श्री असलम भारती अभिभाषक
अपीलांट की ओर से
श्री नरेन्द्र सोमानी एवं श्री भगवान सिंह अभिभाषक
रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 22.02.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 6/2006 निर्णय व डिक्री दिनांक 07.05.2014 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नम्बर 1 के द्वारा अपीलांटगण एवं अन्य के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम बम्बूलिया, तहसील बांरा में नुकल्या, देवा, भेरिया, रामा पुत्रगण बिरदा के खाते में आराजियात खसरा नम्बर 58 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 138 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 178 रकबा 14 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 186 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 424 रकबा 5 बिस्वा कुल 5 किता की 19 बीघा 18 बिस्वा आराजी स्थित है । इसमें प्रत्येक खातेदार का 1/4 – 1/4 हिस्सा है । इस आराजी के वर्तमान खसरा नम्बर 55 रकबा 0.54 हेक्टर, खसरा नम्बर 129 रकबा 0.14 हेक्टर, खसरा नम्बर 158 रकबा 0.27 हेक्टर, खसरा नम्बर 204 रकबा 2.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 205 रकबा 0.31 हेक्टर, खसरा नम्बर 513/591 रकबा 0.04 हेक्टर कुल 6 किता की 3.33 हेक्टर आराजी है जो विवादित है । खातेदार नुकल्या के कोई संतान नहीं हुई तो उसने चतुर्भुज को अपना गोद पुत्र मान लिया । देवा की मृत्यु पर सर्वथा अवैध रूप से वादिनी को सूचना दिये बिना कोई तहकीकात किये बिना देवा को ला औलाद बताकर इंतकाल नम्बर 185 तस्दीक करवाया गया जो सर्वथा गलत है । वादिनी देवा की पुत्री है । इंतकाल वादिनी के खिलाफ नल एण्ड वोईड है । भेरिया ला औलाद फोत हुआ है । इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में चतुर्भुज पुत्र नुकल्या का 1/3 हिस्सा है । वादिनी का 1/3 हिस्सा और रामा का 1/3 हिस्सा है । वादिनी अपने 1/3 हिस्से की हक घोषणा बटवारा एवं स्थायी निषेधाा की

प्रार्थना कर रही है । चतुर्भुज की मृत्यु हो चुकी है प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 उनके वारिस हैं । अतः दावा वादिनी स्वीकार कर वादिनी को 1/3 हिस्से का सहखातेदार घोषित कर आराजी का विभाजन किया जाये और वादिनी के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 07.05.2014 को अपीलाधीन निर्णय पारित कर वादिनी का दावा डिक्री किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अपीलांट नम्बर 1 लगायत 5 के द्वारा काउंटर क्लेम पेश किया गया था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने काउंटर क्लेम के सम्बन्ध में कोई निर्णय पारित नहीं किया है । इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय स्पीकिंग आर्डर की श्रेणी में नहीं आता है । अपीलांट नम्बर 6 के द्वारा आराजी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गई है जब तक सक्षम न्यायालय के द्वारा विक्रय पत्रों को निरस्त नहीं किया जाता है तब तक अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय पारित करने का कोई अधिकार नहीं था । रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होता है । देवा का स्वर्गवास 50–52 वर्ष पूर्व हो चुका था । उनका फोती इंतकाल सन् 1978 में उनकी विधवा नाथी बाई के पक्ष में तस्दीक किया गया गया था । देवा के पत्नी नाथी, एक पुत्र चतुर्भुज था । देवा की पत्नी नाथी बाई ने देवा की आराजी पर हक त्याग किये जाने से देवा और नुकल्या के हिस्से की आराजी चतुर्भुज के नाम दर्ज हुई । चतुर्भुज इस आराजी पर काबिज काश्त है । रेस्पोडेंट नम्बर 1 का कभी भी इस पर कब्जा नहीं रहा है । दावा अवधि बाधित था । कब्जे के अभाव में धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा मेंटेनेबल नहीं है । इतनी लम्बी अवधि तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई, यह स्पष्ट नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने चतुर्भुज को नुकल्या का गोद पुत्र मान लिया है । देवा का एक मात्र पुत्र चतुर्भुज था और एक मात्र पुत्र को कभी भी गोद नहीं लिया जा सकता है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादिनी स्वयं को देवा की एक मात्र लडकी बताती है । चतुर्भुज वादिनी का सगा भाई है और देवा का एक मात्र पुत्र है । अपीलांटगयण का काउंटर क्लेम था उस पर कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है । चूंकि चतुर्भुज देवा का एक मात्र पुत्र था इस कारण वो गोद नहीं जा सकता था । वैसे भी गोद के लिए सिविल न्यायालय सक्षम है । चतुर्भुज देवा का पुत्र होने के कारण वादिनी को 1/3 हिस्सा वादग्रस्त आराजी में नहीं दिया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई । लिखित बहस में उनके द्वारा कथन किया गया कि नुकल्या की मृत्यु देवा से पूर्व हो चुकी थी । नुकल्या के स्थान पर चतुर्भुज का नाम बहैसियत पुत्र दर्ज हो चुका था । इस बात की पुष्टि नुकल्या के भाई रामा के सशपथ बयानों से होती है । प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के द्वारा प्रतिदावा, रामा के खिलाफ पेश किया गया है जो सी पी सी के प्रावधानों के विपरीत है । प्रतिवादी, प्रतिवादी के खिलाफ काउंटर क्लेम पेश नहीं कर सकता है इस बाबत कायम की गई तनकी को निर्धारित भी किया गया है इसलिए यह नहीं कहा जा

सकता है कि काउंटर क्लेम पर कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है । मथुरी बाई देवा की एक मात्र पुत्री थी । चतुर्भुज नुकल्या के गोद चला गया था और उनके हक एवं हिस्से की आराजी पर अपना नाम देवा की मृत्यु से पूर्व ही दर्ज करा चुका था । देवा की मृत्यु के बाद उक्त भूमि नाथी बाई के नाम दर्ज हुई और उसके पश्चात उनके खाते की आराजी को राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत करके पुत्र पुत्री का नाम दर्ज न करवा कर सहखातेदारों का नाम दर्ज करा लिया गया जबकि चतुर्भुज के वारिसान चतुर्भुज को देवा का पुत्र मानते हैं और नुकल्या का गोद पुत्र मानने को तैयार नहीं है । वादिया देवा की पुत्री है । प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 5 के द्वारा काउंटर क्लेम के पक्ष में कोई शहादत पेश नहीं की गई । प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के द्वारा अपने हक एवं अधिकारों की आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सोनिया को बेचान किया है । इस प्रकार 1 लगायत 5 के अधिकार समाप्त हो चुके हैं । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि काउंटर क्लेम 1 लगायत 5 का है वो आराजी का विक्रय कर चुके हैं । इनको गोद को चेलेन्ज करने का कोई अधिकार नहीं है । काउंटर क्लेम सोनिया का नहीं है ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रतिवादी गण 1 लगायत 6 के द्वारा जवाब एवं प्रतिदावा पेश किया गया है जिसमें उनके द्वारा कथन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी चतुर्भुज पुत्र नुकल्या हिस्सा 1/2 और रामा हिस्सा 1/2 दर्ज है । चतुर्भुज के वारिस प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 5 है । नुकल्या निःसंतान फोत हो चुका है । भेरिया भी निःसंतान फोत हुआ है । देवा के वारिस नाथी बाई चतुर्भुज और

मथुरी बाई हैं । रामा अभी जीवित है । चतुर्भुज के वारिस प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 5 हैं । मृतक नुकल्या का फोती इंतकाल चतुर्भुज के नाम पगडी बांधने के आधार पर दर्ज हुआ था । चतुर्भुज नुकल्या का गोद पुत्र नहीं है वह अपने पिता का एक मात्र पुत्र होने के कारण किसी अन्य का गोद पुत्र बनने के लिए समर्थ नहीं था । राजस्व रेकार्ड में गलत रूप से चतुर्भुज पुत्र नुकल्या दर्ज हो चुका है । देवा की मृत्यु सन् 1966 में हुई है । बिना जांच पडताल के फोती इंतकाल उनकी पत्नी नाथी बाई के नाम दर्ज किया गया जबकि उनका एक मात्र पुरूष उततिराधिकारी चतुर्भुज मौजूद था । बेवा नाथी बाई ने देवा के हिस्से की आराजी में अपना हक त्याग किया इस कारण नुकल्या एवं देवा की आराजियात 1/2 पर चतुर्भुज का नाम दर्ज हुआ और भेरिया की मृत्यु के बाद उनके भाई रामा के नाम इंतकाल तस्दीक किया गया जिसके आधार पर उनका 1/2 हिस्सा बना, चतुर्भुज 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त है । वादिया को उसके हिस्से की ऐवज में नाथी बाई ने जेवरात एवं अन्य रकम दे दी थी । मृतक नार्थी बाई ने अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति अपने पुत्र चतुर्भुज के पक्ष में वसीयत की थी । अतः काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी के 1/2 भाग में प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 5 और शेष 1/2 भाग में प्रतिवादी नम्बर 6 को खातेदार घोषित किया जाये । प्रतिवादी नम्बर 8 सोनिया के द्वारा भी जवाबदावा पेश किया गया है जिसमें उनके द्वारा कथन किया गया है कि चतुर्भुज की विधवा एवं पुत्री से उनके द्वारा वादग्रस्त आराजी में 9/20 हिस्सा व रामा का 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया है । अतः दावा खारिज किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम की है ।

वादी की ओर से नकल जमाबंदी सम्वत 2061–64 एक्जीविट 2 सलंग्न है जिसमें वादग्रस्त आराजी भी 6 किता की 3.33 हेक्टर चतुर्भुज पुत्र नुकल्या 1/2 रामा हिस्सा 1/2 दर्ज है । प्रदर्श–3 नकल

जमाबंदी सम्वत 2015–24 है जिसमें साबिक खसरा नम्बर की कुल 5 किता की 19 बीघा 18 बिस्वा नुकल्या, देवा, भेरिया, रामा के खाते में दर्ज है । एक्जीविट –4 नकल जमाबंदी सम्वत 2025–28 में वादग्रस्त आराजी चतुर्भुज पुत्र नुकल्या, देवा, भेरिया, रामा के खातें में दर्ज है । नकल नामान्तरकरण एक्जीविट–5 के अनुसार देवा की मृत्यु हो जाने पर उसका कोई लडका नहीं होना अंकित करते हुए उनकी विधवा के नाम नामान्तरकरण खोला गया है । एक्जीविट 6, 7 मिलान क्षेत्रफल की नकल है । एक्जीविट–8 पंजीयन विभाग की रसीद है । एक्जीविट 8 ए पंजीयन विभाग की रसीद की फोटो प्रति है इसके अलावा पत्रावली पर बयान मथुरी बाई पी डब्ल्यू 1, रामा पुत्र बिरधा पी डब्ल्यू 2 कराये गये हैं । प्रतिवादीगण की ओर से बयान रामा डी डब्ल्यू 1, गोपाल बाई डी डब्ल्यू 2, सोनिया डी डब्ल्यू 3 कराये गये हैं ।

अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की है :–

तनकी नम्बर 1– आया विवादित आराजी के खातेदार देवा की मृत्यु पर अवैधानिक रूप से बिना वादनी को सूचना दिये व बिना कोई तहकीयात किये देवा को ला औलाद फौत बताकर इन्तकाल नम्बर 185 दिनांक 11.01.1978 तस्दीक कर दिया जबकि वादनी देवा की एक मात्र पुत्री व वैधानिक वारिस है इसलिए वादनी खातेदारी की घोषणा कराने एवं इन्तकाल नम्बर 185 को नल एण्ड वोईड करार दिला पाने की अधिकारिणी है । **......वादी**

तनकी नम्बर 2– आया खातेदारान में भेरया पुत्र बिरधा ला औलाद फौत हुआ है । उक्त आराजीयात में नुकल्या का हिस्सा चतुर्भुज 1/3, देवा का हिस्सा वादनी 1/3 व रामा का 1/3 हिस्सा है । वादनी

अपने 1/3 हिस्से की खातेदारी घोषणा कराने व स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने तथा बंटवारा कराकर पृथक खाता दर्ज कराने की अधिकारिणी है । **..... वादी**

तनकी नम्बर 3– आया प्रतिवादी के पूर्वज मृतक बिरधा के चार पुत्र नुकल्या, देवा, भेरू, रामा थे, नुकल्या व भेरू निसन्तान फौत हुए, नुकल्या की मृत्यु पर दाह संस्कार व पगडी देवा के पुत्र चतुर्भुज के बंधी जमाबंदी में इन्द्राज करते समय चतुर्भुज पिता देवा के बजाय चतुर्भुज पुत्र नुकल्या दर्ज कर दिया, चतुर्भुज नुकल्या का गोद पुत्र नहीं है । अतः चतुर्भुज पुत्र नुकल्या के स्थान पर चतुर्भुज पुत्र देवा राजस्व रेकार्ड में दुरस्त कराने की प्रतिवादी अधिकारिणी है । **.... प्रतिवादी**

तनकी नम्बर 4– आया मृतक चतुर्भुज उक्त आराजी के 1/2 हिस्से पर पिछले 40 वर्षों से काबिज है । मृतक देवा का आराजी में कोई हक हिस्सा नहीं है । वादिया ने माता नाथी बाई व भाई चर्तुभुज के जीवनकाल में कभी भी अपने हकूकों की मांग नहीं की क्योंकि वादिया के हिस्से के बदले मृतक नाथी बाई ने जेवरात व नकद रकम वादिया को दे दी थी । माता नाथीबाई व चतुर्भुज की मृत्यु उपरान्त वादिया के मन में बदनियति आ जाने से मिथ्या कथन कर रही है । वाद खारिज किया जावें । **.... प्रतिवादीगण**

तनकी नम्बर 5– विवादित आराजी में प्रतिवादी 1 ता 5 का 1/2 हिस्सा है एवं प्रतिवादी 1 ता 5 खातेदार कृषक है । इस कारण घोषणा कराने की अधिकारिणी है । **.... प्रतिवादीगण**

तनकी नम्बर 6— आया प्रतिवादी 1 ता 5 ने 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी 6 के 1/2 हक हिस्से का विधिवत विभाजन कराकर प्रतिवादी अपना खाता पृथक कराने के अधिकारी हैं । ..... **प्रतिवादीगण**

तनकी नम्बर 7— दादरसी

तनकी नम्बर 8— आया प्रतिवादी 8 श्रीमती सोनिया द्वारा विवादित आराजी दौराने दावा क्रय की है इसका इस वाद पर क्या असर है ।

तनकी नम्बर 9— आया प्रतिवादी 8 के सदभावी केता होने से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं ।

प्रकरण का तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है :—

तनकी नम्बर 1— इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है । पत्रावली पर प्रदर्श 2 में चतुर्भुज पिता नुकल्या का हिस्सा 1/2 और रामा पुत्र बिरधा का हिस्सा 1/2 दर्ज है । प्रदर्श 3 में वादग्रस्त आराजी में सम्वत 2015—24 में नुकल्या, देवा, भेरिया, रामा पिसरान बिरधा हिस्सा बराबर दर्ज है । प्रदर्श 4 नकल जमाबंदी सम्वत 2025—28 में चतुर्भुज पुत्र नुकल्या, देवा, भेरया, रामा हिस्सा बराबर दर्ज है । प्रदर्श 5 नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति है जो देवा की मृत्यु पर खोला गया है इसमें यह अंकित है कि देवा की मृत्यु हो चुकी है उसके कोई लडका/लडकी नहीं है । बेवा नाथी मौजूद है । अतः नाथी का नाम दर्ज किया जाये । वादिनी ने अपने दावे में यह कथन किया है कि वो देवा का विधिक वारिस है । जब देवा की मृत्यु हुई

तब वह और उसकी माता मौजूद थी और नुकल्या के कोई संतान नहीं होने के कारण चतुर्भुज गोद गया था और नुकल्या का हिस्सा चतुर्भुज के नाम दर्ज किया जा चुका था । रामा आज भी मौजूद है । मृतक देवा की एक मात्र पुत्री होने के नाते उनका वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है । वादिनी के दावे का प्रतिवादी के द्वारा जो जवाबदावा पेश किया गया है उसमें यह कथन किया है कि नुकल्या निसंतान फौत हुआ था । चतुर्भुज मृतक नुकल्या का दत्तक पुत्र नहीं है । नुकल्या ने चतुर्भुज को कभी भी गोद नहीं लिया है । चतुर्भुज अपने पिता देवा का एक मात्र पुत्र होने के नाते किसी अन्य के गोद जाने के लिए विधिक रूप से सक्षम नहीं है । चतुर्भुज देवा का पुत्र है । नुकल्या की मृत्यु सन् 1959 में हुई थी । उनका अंतिम संस्कार चतुर्भुज ने किया था । इंतकाल चतुर्भुज के नाम पगडी बांधने के आधार पर दर्ज हुआ है । चतुर्भुज नुकल्या का गोद पुत्र नहीं है । देवा की मृत्यु सन् 1966 में हुई है । इंतकाल गलत रूप से नाथी बाई के नाम तस्दीक किया गया है । जबकि उस समय देवा का एक मात्र पुरूष उत्तराधिकारी चतुर्भुज मौजूद था । नाथी बाई ने अपना हक त्याग दिया इस कारण नुकल्या व देवा के हिस्से की आराजी पर चतुर्भुज का नाम दर्ज हुआ और भेरया की मृत्यु पर इंतकाल नम्बर 105 से उसके हिस्से की आराजी उसके भाई रामा के नाम दर्ज हुई । इस तरह से उनका 1/2 हिस्सा दर्ज है । चतुर्भुज के वारिस प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 5 है । वादिया ने नाथी बाई और चतुर्भुज के जीवनकाल में अपने हिस्से की मांग नहीं की । नाथी बाई ने अपनी सम्पत्ति का मालिक चतुर्भुज को घोषित किया था । अतः दावा खारिज कर वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 5 का 1/2 हिस्सा और प्रतिवादी नम्बर 6 के 1/2 हिस्से का विभाजन किया जाये । पत्रावली पर प्रदर्श 6, 7 मिलान क्षेत्रफल प्रमाणित प्रति हे । प्रदर्श 8 विकय पत्र की प्रमाणित प्रति है जो कि प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के द्वारा श्रीमती सोनिया के पक्ष में निष्पादित की गई है । पंजीयन विभाग की एक रसीद एक्जीविट 8 व 8 ए के रूप में पत्रावली

पर सलंग्न है । इसके अलावा अन्य कोई दस्तावेज पत्रावली में सलंग्न नहीं है । इस प्रकार पत्रावली पर जो दस्तावेज पेश किये गये हैं उसके अनुसार वादग्रस्त आराजी एक्जीविट पी 3 के अनुसार नुकल्या, देवा, भेरया और रामा के संयुक्त खाते में दर्ज थी । सर्वप्रथम नुकल्या की मृत्यु हुई और उसका हिस्सा चतुर्भुज के नाम दर्ज किया गया । वादिनी का यह कथन है कि चतुर्भुज नुकल्या का गोद पुत्र है इस कारण उसका हिस्सा चतुर्भुज के नाम दर्ज किया गया परन्तु गोद को प्रमाणित करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है और प्रतिवादीगण जो कि चतुर्भुज के वारिस हैं उनका यह कथन है कि चतुर्भुज नुकल्या का गोद पुत्र नहीं था । चूंकि वादिनी चतुर्भुज को नुकल्या का गोद पुत्र सिद्ध नहीं कर पायी हैं और प्रतिवादीगण जो कि चतुर्भुज के वारिस हैं उन्होंने इस पर आपत्ति की है इस कारण चतुर्भुज को नुकल्या का गोद पुत्र नहीं माना जा सकता है । ऐसी स्थिति में नुकल्या की मृत्यु पर उसका हिस्सा सम्भाग से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उसके तीनों जीवित भाइयों देवा, भेरया और रामा के नाम दर्ज होगा जिसके अनुसार प्रत्येक का हिस्सा वादग्रस्त आराजी में 1/3 रहेगा । इसके उपरान्त देवा की मृत्यु हुई है और वादिनी का यह कथन है कि वह देवा की पुत्री है इस नाते वादग्रस्त आराजी में देवा के हिस्से को प्राप्त करने की अधिकारिणी है । वादिनी को देवा की पुत्री होना प्रतिवादीगण ने भी स्वीकार किया है परन्तु उनका यह कथन है कि वादिनी का इसमें कोई हक एवं हिस्सा नहीं है, क्योंकि उनको नाथी बाई ने जेवरात व नकद राशि दे दी थी । वादिनी देवा की पुत्री होने के कारण वादग्रस्त आराजी में हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी हे । वादग्रस्त आराजी में देवा का 1/3 हिस्सा है और चतुर्भुज के गोद नहीं जाने की स्थिति में देवा के हिस्से की आराजी को सम्भाग से चतुर्भुज एवं वादिनी प्राप्त करने की अधिकारिणी हे । इस नाते वादग्रस्त आराजी में चतुर्भुज का 1/6 हिस्सा और वादिनी का 1/6 हिस्सा निहित होता है । दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने यह भी कथन किया कि आराजी पैतृक

है इस नाते चतुर्भुज को जन्म से ही इस आराजी में हिस्सा प्राप्त हो गया था । तदनुसार देवा का वादग्रस्त आराजी में 1/6 हिस्सा था । चतुर्भुज का 1/6 हिस्सा था और देवा की मृत्यु होने पर उसका 1/6 हिस्से का विभाजन ही वादिनी और चतुर्भुज के मध्य हो सकता है । अपने इस पक्ष के समर्थन में उनके द्वारा 2006 डी एन जे (80) पेज 967 उद्धरत की गई परन्तु पत्रावली पर अपीलांट के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे कि आराजी पैतृक प्रमाणित हो । सबसे पुरानी जमाबंदी नकल जो पेश की गई है वह सम्वत 2015–24 की है जिसमें आराजी नुकल्या, देवा, भेरया, रामा पिसरान बिरधा के खाते में दर्ज है । बिरधा के खाते की नकल जमाबंदी पेश नहीं की गई है । इस कारण यह रूलिंग इस प्रकरण में चस्पा नहीं होती है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांटगण ने अपने जवाबदावे में भी यह प्लीडिंग नहीं की है और जवाबदावे में की गई प्लीडिंग के विपरीत कोई सहायता प्राप्त करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है । जवाबदावे में अपीलांटगण के द्वारा यही कथन किया गया है कि नाथी बाई ने उनके पक्ष में एक वसीयत तहरीर की थी, परन्तु इसको प्रमाणित करने के लिए कोई वसीयत पेश नहीं की गई है । विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आर आर टी 2014 (1) पेज 624 उद्धरत की है जिसके अनुसार इकलौते पुत्र को गोद नहीं लिया जा सकता । चूंकि वादिनी चतुर्भुज का गोद जाना सिद्ध नहीं कर पायी हैं इसलिए चतुर्भुज को गोद पुत्र नहीं माना गया है और इस समस्त विवेचन के आधार पर वादग्रस्त आराजी में देवा के 1/3 हिस्से में वादिनी 1/2 हिस्सा अर्थात् 1/6 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी है और चतुर्भुज का वादग्रस्त आराजी में 1/6 हिस्सा निहित होगा । इस प्रकार यह तनकी आंशिक रूप से वादिनी के पक्ष में तय पायी जाती है ।

तनकी नम्बर 2– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादिया पर है । तनकी नम्बर 1 की विवेचना में विस्तृत रूप से यह अंकित किया

जा चुका है कि वादग्रस्त आराजी में देवा की पुत्री होने के नाते वादिनी का 1/6 हिस्सा निहित है । जब नुकल्या ला औलाद फौत हुआ तब उसका हिस्सा उसके तीनों भाइयों देवा, भेरया और रामा में समभाग से प्रापत हुआ । तदनुसार वादग्रस्त आराजी में देवा का 1/3 हिस्सा निहित था जिसमें 1/6 हिस्सा वादिनी मथरी बाई और शेष 1/6 हिस्सा चतुर्भुज को प्राप्त होगा । तदनुसार वादिनी 1/6 हिस्सा प्राप्त करने और उसका बंटवारा कराने की अधिकारी है । इस प्रकार यह तनकी भी वादिनी के पक्ष में आंशिक रूप से तय पायी जाती है ।

तनकी नम्बर 3— इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर है । वादिनी ने यह कथन किया है कि चतुर्भुज नुकल्या का गोद पुत्र है जबकि प्रतिवादीगण जो कि चतुर्भुज के वारिस हैं उनके द्वारा यह कथन किया जा रहा है कि चतुर्भुज नुकल्या का गोद पुत्र नहीं है और अपने पिता का भी एक मात्र पुत्र था इस कारण उसे गोद नहीं लिया जा सकता है । तद्नुसार चतुर्भुज का नुकल्या का गोद पुत्र होना सिद्ध नहीं होता है । यदि चतुर्भुज नुकल्या का गोद पुत्र नहीं है तो नुकल्या की आराजी उसे प्राप्त करने का अधिकार नहीं है वरन नुकल्या की आराजी उसके तीनों भाइयों को समान रूप से प्राप्त होगी । चतुर्भुज को देवा का पुत्र मानते हुए नुकल्या की आराजी उसके खाते में दर्ज नहीं की जा सकती । इस प्रकार यह तनकी आंशिक रूप से प्रतिवादी के पक्ष में तय पायी जाती है ।

तनकी नम्बर 4— इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर है । संयुक्त खाते की आराजी में एक सहखातेदार का कब्जा दूसरे सहखातेदार के विपरीत नहीं होता है । वादिया के द्वारा अपनी माता अथवा भाई के जीवनकाल में अपने हिस्से को प्राप्त नहीं करने के आधार पर उनका हिस्सा समाप्त नहीं किया जा सकता है और माता से जेवरात और नकद राशि मिलने के आधार पर भी वादिनी का

हिस्सा समाप्त नहीं किया जा सकता । वादिया देवा की पुत्री होने के नाते वादग्रस्त आराजी में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी है । तद्नुसार यह तनकी प्रतिवादीगण के खिलाफ तय पायी जाती है ।

तनकी नम्बर 5– इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है ।यह तनकी उनके काउंटर क्लेम के आधार पर ही कायम की गई है । विद्वान अभिभाषक अपीलांट का यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उनके काउंटर क्लेम पर कोई निर्णय पारित नहीं किया है । यह तनकी उनके काउंटर क्लेम के आधार पर ही निर्धारित की गई है और उनका विश्लेषण और निर्णय के अनुसार ही उनका काउंटर क्लेम का निस्तारण होगा । वादग्रस्त आराजी में नकल जमाबंदी एक्जीविट 2 में चतुर्भुज का हिस्सा 1/2 दर्ज है । नकल जमाबंदी एक्जीविट 3 में चतुर्भुज, देवा, भेरया और रामा का समभाग से हिस्सा दर्ज है । इस प्रकार एक्जीविट 3 के अनुसार वादग्रस्त आराजी में नुकल्या, देवा, भेरया और रामा के संयुक्त खाते में दर्ज थी । सबसे पहले नुकल्या की मृत्यु हुई है जो कि प्रतिवादीगण ने अपने प्रतिवाद पत्र की मद संख्या 3 में अंकित किया है । नुकल्या की मृत्यु 1959 में हुई है और उनकी मृत्यु के समय उनके तीन भाई मौजूद थे । चतुर्भुज को प्रतिवादी अपीलांटगण नुकल्या का गोद पुत्र नहीं मानते हैं । तद्नुसार नुकल्या की मृत्यु पर उनका हिस्सा समभाग से उनके तीनों भाइयों देवा, भेरया और रामा को प्राप्त होगा । यदि चतुर्भुज को नुकल्या का गोद पुत्र नहीं माना जाता है तो उनका हिस्सा भी चतुर्भुज को प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा । इसके उपरान्त सन् 1966 में देवा की मृत्यु हुई है । देवा की मृत्यु के समय उनकी विधवा नाथी बाई पुत्र चतुर्भुज और पुत्री मथरी वादिया जीवित थे और उसके उपरान्त नाथी बाई की भी मृत्यु हो चुकी है तद्नुसार चतुर्भुज का वादग्रस्त आराजी में देवा के हिस्सा 1/3 में 1/2 अर्थात् 1/6 हिस्सा निहित है और भेरया की मृत्यु के बाद उनका हिस्सा उनके जीवित

भाई रामा को प्राप्त होगा । जिसके अनुसार रामा का हिस्सा वादग्रस्त आराजी में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार 2/3 होगा न कि 1/2 । तद्नुसार वादग्रस्त आराजी में चतुर्भुज का 1/6 हिस्सा मथरी बाई का 1/6 हिस्सा और रामा का 2/3 हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार निहित है । चतुर्भुज की मृत्यु हो जाने पर उसका हिस्सा उसके विधिक वारिसान को प्राप्त होगा । इस अनुसार पक्षकारान हक घोषणा एवं विभाजन के अधिकारी हैं । तद्नुसार यह तनकी आंशिक रूप से प्रतिवादीगण के पक्ष में तय पायी जाती है ।

तनकी नम्बर 6– इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है । यह तनकी तनकी नम्बर 5 से सम्बन्धित है । तनकी नम्बर 5 में विवेचना की जा चुकी है कि वादग्रस्त आराजी में पक्षकारान का हिस्सा चतुर्भुज के वारिसान का 1/6 हिस्सा वादिनी का 1/6 हिस्सा और रामा का 2/3 निहित है । तद्नुसार पक्षकारान अपना हिस्सा पृथक करने के अधिकारी है । इस प्रकार यह तनकी आंशिक रूप से प्रतिवादीगण के पक्ष में तय पाया जाता है ।

तनकी नम्बर 8– इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है । दौराने दावा श्रीमती सोनिया ने विवादित आराजी प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 व प्रतिवादी नम्बर 6 से कय की है । प्रतिवादीगण अपने से बेहतर हक का अन्तरण नहीं कर सकते हैं । वादग्रस्त आराजी में उनका निहित हिस्से की सीमा तक विकय पत्र वैध है । इस कारण यह तनकी आंशिक रूप से प्रतिवादीगण के पक्ष में तय पायी जाती है ।

तनकी नम्बर 9– इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी नम्बर 8 पर है । प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 अपने हिस्से से ज्यादा आराजी

का विक्रय नहीं कर सकते हैं । वादग्रस्त आराजी में उनका 1/6 हिस्सा निहित है । तद्नुसार उनके पक्ष में लिखे गये विक्रय पत्र उनके हिस्से की सीमा तक ही वैध होगे । खातेदार रामा का वादग्रस्त आराजी में 2/3 हिस्सा है और उनसे 1/2 हिस्से के लिए यदि विक्रय पत्र लिखा है तो उनके हिस्से की सीमा से कम है जिसके अनुसार रामा के हिस्से की आराजी प्राप्त करने की प्रतिवादी नम्बर 8 हकदार है ।

तनकी नम्बर 7— तनकी नम्बर 1, 2 आंशिक रूप से वादिनी के पक्ष में तय पायी जाती है । तनकी नम्बर 3 आंशिक रूप से प्रतिवादी के पक्ष में तय पायी जाती है । तनकी नम्बर 4 प्रतिवादी के खिलाफ तय पायी जाती है । तनकी नम्बर 5, 6, 8, 9 आंशिक रूप से प्रतिवादीगण के पक्ष में तय पायी जाती है । अतः दावा वादिनी आंशिक रूप से डिक्री किये जाने योग्य है और प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम भी आंशिक रूप से डिक्री किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 07.05.2014 से दावा वादिनी पूर्ण रूप से स्वीकार किया है और प्रतिवादीगण के काउंटर क्लेम पर कुछ निर्णय पारित नहीं किया है । अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.05.2014 अपास्त किया जाता है । दावा वादिनी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 58 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 138 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 178 रकबा 14 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 186 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 424 रकबा 5 बिस्वा

कुल 5 किता की 19 बीघा 18 बिस्वा के वर्तमान खसरा नम्बर 55 रकबा 0.54 हेक्टर, खसरा नम्बर 129 रकबा 0.14 हेक्टर, खसरा नम्बर 158 रकबा 0.27 हेक्टर, खसरा नम्बर 204 रकबा 2.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 205 रकबा 0.31 हेक्टर, खसरा नम्बर 513/591 रकबा 0.04 हेक्टर कुल 6 किता की 3.33 हेक्टर आराजी में वादिनी को 1/6 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है । प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 अपने हिस्से से अधिक आराजी का विक्रय कर चुके हैं । उनका वादग्रस्त आराजी में हिस्सा 1/6 है । तद्नुसार उनके द्वारा प्रतिवादी नम्बर 8 के पक्ष में लिखा गया विक्रय पत्र 1/6 हिस्से तक ही वैध होगा क्योकि विक्रेता अपने से बहेतर अधिकार क्रेता को अंतरित नहीं कर सकता। प्रतिवादी नम्बर 6 रामा के द्वारा अपने 2/3 हिस्से में से 1/2 हिस्से का विक्रय किया है । तद्नुसार वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी नम्बर 8 सोनिया का हिस्सा 1/6 + 1/2 = 4/6 होगा और प्रतिवादी नम्बर 6 रामा का हिस्सा 2/3 - 1/2 = 1/6 घोषित होगा । तद्नुसार विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाती है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मुताबिक प्रारम्भिक डिक्री राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में तहसील से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त करें, बंटपारा प्रस्ताव पर उभयपक्ष को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान कर विभाजन की अंतिम डिक्री जारी करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.05.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा